

ओपन-सोर्स सीड्स मूवमेंट

प्रलिस के लयः

IPR, ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर, WTO, TRIPS, हरतऱ क्रांती

मेन्स के लयः

ओपन-सोर्स सीड्स मूवमेंट ।

चर्चा में क्यों?

प्रजनन और बीज क्षेत्र में क्रमशः सार्वजनिक क्षेत्र के घटते एवं नजी क्षेत्र के बढ़ते वर्चस्व के साथ, ओपन-सोर्स सीड्स की अवधारणा तेज़ी से प्रासंगिक हो रही है ।

- वर्ष 1999 में पहली बार कनाडाई पौधा-प्रजनक टी.ई. माइकल्स द्वारा ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के सिद्धांतों के आधार पर 'ओपन-सोर्स सीड्स' का सुझाव दिया गया था ।
- किसान सदयों से बना किसी विशेष अधिकार या **बोधकऱ संपदा अधिकार** का दावा कयऱ, बीजों (Seeds) को साझा करते हुए नवाचार करते रहे हैं, उसी तरह जैसे प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर पर साझा एवं नवाचार करते हैं ।

ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (OSS):

- OSS एक सॉफ्टवेयर है जसका स्रोत कोड किसी को भी खुले स्रोत लाइसेंस के तहत देखने, संशोधन करने और वतऱरतऱ करने हेतु सभी के लयऱ उपलब्ध होता है । यह लाइसेंस आमतौर पर उपयोगकर्ताओं को स्रोत कोड तक पहुँचने और संशोधन करने की अनुमती देता है, साथ ही उपयोग या वतऱरण पर किसी भी प्रतिबंध के बिना सॉफ्टवेयर को पुनर्वतऱरतऱ करने की अनुमती होती है ।
 - OSS की अवधारणा वर्ष 1980 के दशक में उत्पन्न हुई, लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन (FSF) तथा ओपन सोर्स इनशऱरऱटऱवऱ (OSI) के प्रयासों से वर्ष 1990 के दशक में इसे व्यापक मान्यता और लोकप्रयऱता मिली ।
- OSS के लाभों में वशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सॉफ्टवेयर को अनुकूलन करने की क्षमता, स्वामतऱत्व की कम लागत और स्रोत कोड की बढ़ी हुई पारदर्शता के कारण अधिक सुरक्षा की संभावना शामिल है । इसके अलावा OSS डेवलपर्स को मौजूदा सॉफ्टवेयर पर नरऱमाण करने एवं इसे बेहतर बनाने की अनुमती देकर नवाचार को बढ़ावा दे सकता है ।

पादप प्रजनकों के अधिकारः

- वाणजयऱकऱ बीज उद्योग का वकऱस, वैज्ञानिकऱ पादप-प्रजनन और संकर बीजों के आगमन से **कई देशों में पादप प्रजनकों के अधिकार (PBR)** की स्थापना हुई ।
- PBR पद्धतऱ के तहत, पौध प्रजनकों और नई कसऱमों के वकऱसकर्ताओं को **बीजों पर रॉयल्टी वसूलने** तथा कानूनी रूप से PBR लागू करने का **वशिषऱ अधिकार** है ।
- इसने कसऱनों द्वारा बीजों के पुनः प्रयोग के अधिकारों को सीमती कर दयऱ और उनकी नवाचार करने की क्षमता को सीमती कर दयऱ ।
- वर्ष **1994 में वशिषऱ व्यापार संगठन (WTO)** की स्थापना तथा **व्यापार संबंधतऱ IPR समझौते (TRIPS)** ने पादप कसऱमों पर वैश्वकऱ IPR व्यवस्था लागू की ।
 - टऱरऱस के लयऱ देशों को पौधों की कसऱमों हेतु IP संरक्षण का कम-से-कम एक प्रतरऱरूप प्रदान करने की आवश्यकता थी, जसऱने नवाचार करने की स्वतंत्रता के बारे में चतऱओं को उजागर कयऱ ।
- हरतऱ क्रांती** का नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनन संगठनों ने कयऱ था और बीजों को 'ओपन पोलऱनेटेड कसऱमों' या उचतऱ मूल्य वाले संकरों के रूप में उपलब्ध कराया गया था, जसऱमें कसऱनों की उत्पादन, पुनः उपयोग एवं साझा करने की क्षमता पर कोई सीमा नहीं थी ।
- लेकिन कृषऱ में आनुवंशिकऱ क्रांती का नेतृत्व नजी क्षेत्र ने कयऱ, जसऱमें बीजों को **ज्ञादातर संकर के रूप में उपलब्ध कराया गया और IPR द्वारा संरक्षतऱ कयऱ गया** ।

कृषि में IP संरक्षण

- कृषि में IPR संरक्षण के दो रूप हैं: पादप-प्रजनकों के अधिकार और पेटेंट।
- साथ में वे IP-संरक्षित कस्मिों से जर्मप्लाज़्म (Germplasm) का उपयोग करके किसानों के अधिकारों और नई कस्मिों को विकसित करने की स्वतंत्रता को प्रतर्बिधति करते हैं।
- इस प्रकार उन्होंने बीज क्षेत्र को और समेकित किया है और IPR द्वारा कवर की गई पौधों की कस्मिों की संख्या में वृद्धि की है।

ओपन सोर्स सीड्स

- आवश्यकता:
 - आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों की उच्च कीमतों और IP दावों ने भारत में बीटी कपास के बीजों पर राज्य के हस्तक्षेप सहित कई समस्याओं को जन्म दिया। जैसे-जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनन में गरिवट आई और बीज क्षेत्र में नज्जी क्षेत्र का वरचस्व बढ़ने लगा, विकल्पों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।
 - यह तब है जब ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर की सफलता ने एक समाधान को प्रेरित किया।
- ओपन-सोर्स मॉडल:
 - वर्ष 2002 में वैज्ञानिकों द्वारा बीजों और पौधों की कस्मिों के लिये एक ओपन-सोर्स मॉडल प्रस्तावित किया गया था, जिसे "बायोलाइनक्स मॉडल" का नाम दिया गया था, और यह वद्विानों और नागरिक-समाज के सदस्यों के लिये इस दिशा में कार्य करने का आधार बना।
 - जैक क्लोपेनबर्ग ने वर्ष 2012 में वसिकॉन्सनि में ओपन सोर्स सीड्स इनशिएटिवि (OSSI) लॉन्च किया।
 - इसका उपयोग किसान आधारित बीज संरक्षण और वतिरण प्रणाली में किया जा सकता है। भारत में पारंपरिक कस्मिों को संरक्षण और साझा करने के लिये कई पहलें हैं।
 - इसका उपयोग किसानों के नेतृत्व वाली प्लांट ब्रीडिंग अभ्यासों को बढ़ावा देने के लिये भी किया जा सकता है।
 - पारंपरिक कस्मिों में अक्सर एकरूपता और गुणवत्ता की कमी होती है। ओपन सोर्स सदिधांत परीक्षण, सुधार और अपनाए जाने की सुविधा के साथ इन दोनों चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं - ये सभी अंततः भारत की खाद्य सुरक्षा और जलवायु सुनम्यता के लिये फायदेमंद होंगे।

भारत की पहलें:

- हैदराबाद स्थित सतत् कृषि केंद्र (CSA) जो अपना बीज नेटवर्क का एक हिस्सा है, ने एक मॉडल का निर्माण किया जिसे CSA और बीज सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्तों के बीच एक अनुबंध में शामिल किया गया था। थ्री फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (FPO) के माध्यम से इस रणनीति का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है।
- विश्व भर में ओपन-सोर्स मॉडल का उपयोग करने वाली बीज फर्मों की संख्या और इसके तहत उपलब्ध कराई गई फसल कस्मिों और बीजों की संख्या कम है, लेकिन इसमें वृद्धि होने की पूरी संभावना है। भारत द्वारा अभी इसका परीक्षण करना और इसे व्यापक रूप से अपनाया जाना शेष है।
- पौधा कस्मि एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत यदि किसान कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो यह कुछ कस्मिों को 'किसान कस्मिों (Farmer Varieties)' के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं।
- हालाँकि यह अधिनियम के तहत व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु संरक्षित कस्मिों के प्रजनन और व्यापार के पात्र नहीं होते हैं।

आगे की राह:

- ओपन-सोर्स दृष्टिकोण का उपयोग करने से किसानों को जर्मप्लाज़्म और बीजों पर अधिक अधिकार प्राप्त होने के साथ नवाचार को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
- इसलिये इस दृष्टिकोण का परीक्षण करने की आवश्यकता है और तीनों FPO इसका नेतृत्व कर सकते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजयि: (2019)

1. भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार, कसिी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया का भारत में पेटेंट कराया जा सकता है।
2. भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है।
3. पादप कस्मिें भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

- भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (J), "पौधों और पशुओं के पूर्ण या वभिजाति हस्से में सूक्ष्मजीवों के अलावा बीज, कस्मों और प्रजातियों तथा अनविरय रूप से पौधों और पशुओं के उत्पादन या प्रजनन हेतु जैविक प्रक्रियाओं" को पेटेंट से बाहर करती है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- भारतीय व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत रजिस्ट्रार के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने और हल करने के लिये भारत सरकार द्वारा 2003 में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (IPAB) का गठन किया गया था। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- पादप विविधता संरक्षण, पादप प्रजनक अधिकारों (PBR) के रूप में एक प्रजनक को पादप विविधता का कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। भारत में पौधों की कस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001 (PPVFR) एक विशिष्ट प्रणाली है जिसका उद्देश्य पौधों की कस्मों की सुरक्षा तथा पौधों के प्रजनकों एवं किसानों के अधिकारों के लिये एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना है। सुई जेनरसि प्रणाली पेटेंट प्रणाली का एक विकल्प है। **अतः कथन 3 सही है।**

अतः विकल्प (C) सही उत्तर है।

स्रोत: [दृष्टि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/open-source-seeds-movement>

